न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कक्ष सं0–2एटा
उपस्थितः श्री पवन कुमार शुक्ला, एच.जे.एस.
विशेष वाद संख्या–12/2016

राज्य बनाम अमित उर्फ छोटू पुत्र परमाशरन निवासी मौ0 आजाद नगर थानागुरू सहायगंजजनपदकन्नौज।

धाारा–8/22 एनडीपीएस एक्ट
थाना–कोतवाली देहात एटा।
अ0स0–357/2015

निर्णय

अभियुक्त अमित उर्फ छोटू का विचारण इस न्यायालय द्वारा धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात एटा जिला एटा अ0सं0 357/2015 के तहत दण्डनीय अपराध के लिये किया गया है।

2– अभियोजन कथानक सक्षेप में इस आशय का है कि दिनांक 13–06–2015 को थाना कोतवाली देहात जिला एटा की पुलिस गश्त पर थी कि समय करीब 7.15 बजे सुबह जी टी रोड एटा पर स्थित सिन्ध पंजाव होटल पर पुलिस द्वारा अभियुक्त को सदिग्ध अवस्था में गिरफतार किया गया तथा उसकी जामा तलाशी लिये जाने पर अभियुक्त के कब्जा से 260 ग्राम डायजापाम नशीला पाउण्डर बरामद हुआ। जिसे वह अनिधकृत रूप से अपने कब्जा में रखे हुए था।

3– अभियुक्त के विरूद्व थाना कोतवाली देहात एटा पर फर्द बरामदगी के आधार पर मुकदमा पजीकृत किया गया तथा नमूना माल को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा गया।

4– विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया तथा गवाहान के बयान अकिंत किये तथा विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्त के विरूद्व आरोपपत्र धारा 8/22 एनडी पी एस एक्ट के तहत न्यायालय प्रेषित किया गया।

5– विधि विज्ञान प्रयोग शाला से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्त से बरामद पदार्थ डायजापाम पाउण्डर पाया गया।

6– न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्व धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप विरचित किया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की मॉग की।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में गवाह कां0 विनोद सिहं का बयान कराया गया। अन्य किसी साक्षी को पेश नहीं किया गया।

8– अभियुक्त का बयान धारा 313 सीआरपीसी अकिंत किया गया जिसमें अभियुक्त ने घटना को सही बताया तथा कहा कि उसे कोई

सफाई नहीं देनी है तथा वह वेहद गरीब है वह अपने घर में वूडे मॉ वाप का सहारा है। उसे कम से कम दण्ड देने की कृपा करे तथा कहा कि बरामद पदार्थ डायजापाम पदार्थ था।

9— मैने राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

10— विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का तर्क है कि थाना कोतवाली देहात एटा की पुलिस द्वारा दिनांक 13—06—2015 को समय करीब 7.15 बजे सुबह अभियुक्त के कब्जा से 260ग्राम नाजायज डायजापाम पाउण्डर बरामद किया गया।

11— अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये गवाह पी0डब्लू—1 कां0 विनोद कुमार सिहं द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया हैतथा विवेचक द्वारा तैयार किये गये प्रलेखों को सिद्व किया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त आख्या में अभियुक्त से बरामद पदार्थ डायजापाम पाउण्डर पाया गया। इसप्रकार अभियुक्त के विरूद्व लगाया गया आरोप सिद्व होता है। अतः अभियुक्त को दण्डित किया जाय।

12— अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि उसे यह मालूम नहीं था कि बरामद पदार्थ प्रतिवन्धित है।यह बात सही है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जा से 260ग्राम डायजापाम पाउण्डर बरामद किया गया। किन्तु वह अनभिज्ञता के कारण उसे अपने कब्जा में रखे हुए था। अतः उसे क्षमा किया जाय।

13— अभियुक्त द्वारा अपने बयान धारा 313 सीआरपीसी में उसके कब्जा से पुलिस द्वारा 260 ग्राम डायजापाम नशीला पाउण्डर बरामद किये जाने के तथ्य को सहीं बताया विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जो आख्या प्राप्त हुई है उसमें भी परीक्षण के पश्चात नमूना में डायजापाम पाया गया। अभियुक्त के पास से बरामद मादक पदार्थ डायजापाम 260ग्राम है जो वाणिज्यक मात्रा से अत्यन्त कम है। अभियुक्त का कहना है कि वह अनभिज्ञता के कारण उक्त पदार्थ को अपने कब्जा में रखे हुए था परन्तु इससे अभियुक्त का अपराध कम नहीं होता है। गवाह पी0डब्लू—1 कां0 अशोक कुमारसिहं द्वारा फर्द बरामदगी व सहमति पत्र को सिद्व किया गया है जिस पर क्रमशः प्रदर्शक—1 व प्रदर्शक—2 डाले गये तथा शेष अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा धारा 294सीआरपीसी के तहत स्वीकार कर लिया गया है।

14— उपरोक्त विवेचना व मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तत किये गये साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्व लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट सन्देह से परे सिद्व हो रहा है। अतः अभियुक्त को उक्त अपराध के लिये दोष सिद्व किया जाता है। अभियुक्त इस

मामले में पूर्व से ही न्यायिक हिरासत में है। अतः सजा के विन्दु पर सुने जाने हेतु पत्रावली व अभियुक्त लंच वाद पेश हो।

(पवन कुमार शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
दिनांक:26–06–2018 कक्ष संख्या–2,एटा।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सजा के विन्दु पर सुना गया। अभियुक्त द्वारा कहा गया कि वह वेहद गरीब व्यक्ति है तथा वह अपने वूढे माता पिता का एक सहारा है। उसे यह पता नहीं था कि डायजापाम पाउण्डर पतिवन्धित पदार्थ है। उसे यह भी पता नहीं था कि यह पदार्थ नशीला पदार्थ है। उसका यह प्रथम अपराध है तथा वह करीब 6 माह से जिला कारागार में निरूद्व है। अतः उसे क्षमा किया जाय।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक द्वारा कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है अतः उसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाय।

मेरी राय में अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तथा अभियुक्त से बरामद डायजापाम पाउण्डर की मात्रा व उसके द्वारा जिला कारागार में व्यतीत की गयी सात माह की अवधि को देखते हुए अभियुक्त को जिला कारागार में व्यतीत की गयी अवधि व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित होगा।

आदेश

अभियुक्त अमित उर्फ छोटू को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत उसके द्वारा जिला कारागार एटा में व्यतीत की गयी अवधि व दस हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त दस दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

अभियुक्त का सजायावी वारण्ट तैयार कर नियमानुसार जिला कारागार एटा भेजा जाय।

माल मुकदमाती 260ग्राम मादक पदार्थ डायजापाम पाउण्डर

वाद मियाद अपील अथवा अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निस्तारित किया जाय।

(पवन कुमार शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
दिनांक:26—06—2018 कक्ष संख्या—2,एटा।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया

(पवन कुमार शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
दिनांक:26—06—2018 कक्ष संख्या—2,एटा।